



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय के द्वारा आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०- 55/20 धारा- 363, 366 भादवि व 17 पॉक्सो एक्ट बनाम जीशान पुत्र फिरासत निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- 12.07.2024 को मा० न्यायालय ADJ-08, रामपुर द्वारा अभियुक्त जीशान पुत्र फिरासत उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त जीशान पुत्र फिरासत उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

जीशान पुत्र फिरासत निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826